



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

ई - मेल : deanshivpuri@gmail.com

वेबसाईट : <http://shivpurimedicalcollege.com>

क्रमांक / २३५४ - ५७ / रक्षा / २०२२

शिवपुरी, दिनांक -

02/03/2022

// विज्ञप्ति //

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में स्वशारी समिति की पूर्व निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर जूनियर रेसिडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में कार्यालय, अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में प्रातः 09.00 बजे से 11.00 बजे तक गुरुवार दिनांक 03.03.2022 वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑफिसिनल कोरोना-19 महामारी की संभावित लहर को दृष्टिगत रखते हुये एवं नवीन अस्पताल संचालन हेतु छानबीन उपरांत योग्य पाये गये उम्मीदवारों का इंटरव्यू अपराह्न 02:00 से 04:00 बजे के मध्य आयोजित किया जाएगा।

जूनियर रेसिडेन्ट JR (निश्चित वेतन रु. 53000/- प्रतिमाह)

| क्र. | विभाग | रिक्त कुल पद | अनारक्षित | अजा | अजजा | ओ.बी.सी. | आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग |
|---------|-------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|----------|---------------------------|
| 1 | मेडिसिन | 09 | 01+01F | 01+1F | 01+2F | 01 | 01 |
| 2 | पीडियाट्रिक्स | 03 | - | - | 01 | 01 | 01 |
| 3 | टी.बी. एण्ड चेस्ट | 01 | - | - | - | 01 | - |
| 4 | स्किनबीडी. एण्ड लेप्रोसी | 01 | - | - | - | 01 | - |
| 5 | मनोरोग | 00 | - | - | - | - | - |
| 6 | सर्जरी | 07 | 02 | - | 01+1F | 01+01F | 01 |
| 7 | आर्थोपेडिक्स | 01 | - | - | - | 1F | - |
| 8 | ओटीओ-रहिनोलेरिगोलोजिकल | 00 | - | - | - | - | - |
| 9 | ऑफ्थलमोलॉजी | 00 | - | - | - | - | - |
| 10 | स्त्री एवं प्रसूतिरोग | 06 | 01 | - | 01 | 02+1F | 01 |
| 11 | एनेस्थेसिया | 03 | - | - | 01 | 01 | 01 |
| 12 | पीडियाट्रिक सर्जरी | 01 | - | - | - | 01 | - |
| 13 | प्लास्टिक सर्जरी | 01 | - | - | - | 01 | - |
| 14 | न्यूरोसर्जरी | 01 | - | - | - | 01 | - |
| 15 | यूरोलॉजी | 02 | 01 | - | - | 01 | - |
| 16 | फिजीकल मेडिसिन एण्ड रिहबीटेशन | 00 | - | - | - | - | - |
| 17 | डेन्टरस्ट्री | 00 | - | - | - | - | - |
| कुल योग | | 36 | 06 | 02 | 08 | 15 | 05 |

पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वर्द्धि हो सकती है।

उपरोक्त पदों पद नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27 प्रतिशत के संबंध में दायर याचिका के अंतिम निर्णय के अधिन रहेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्र. एफ-4-7/2/55 दिनांक 25.08.2010 के प्रावधान के अनुसार सभी रनातक छात्र जिनका चयन जूनियर रेसीडेंट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जायगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्त लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

नोट:-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार होगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या बढ़ि हो सकती है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित हैं तथा प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है।
4. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यार्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

1. **अवधि :** जूनियर रेसीडेंट की सेवा—अवधि (Tenure) तीन वर्ष होगी। इनकी प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्त की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01—01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।
2. **नियुक्ति का तरीका :** योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी/डिप्लोमा सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परिक्षाओं के अंको एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. जूनियर रेसीडेंट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
4. संरथा द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
5. **यात्रा भत्ता :** साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्तेः :

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेंट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता कर निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संरथा में कार्यरत है उस संरथा का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया से पंजीयन करना अनिवार्य होगा।
8. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों प्रस्तुत करनी होगी।

9. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्क्रूटनी समिति के समर्क यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है, यदि इनके विरुद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरुद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
10. साक्षात्कार के समय यदि विभाग में ओबीसी पद रिक्त है तो उक्त पद के लिये आवेदन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा।
11. बॉण्डेड अभ्यार्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बॉण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है/ आई है किन्तु मैंने अपनी ज्योनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बॉन्ड के बदले जूनियर रेसीडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।
12. जिन चिकित्सकों ने एम.बी.बी.एस. उर्तीण कर लिया है। वे चिकित्सक जुनियर रेसीडेंट्स के पद के लिये विज्ञापन प्रकाशित होने की दिनांक से 05 वर्ष के अंदर जिन चिकित्सकों ने एम.बी.बी.एस. पास किया हो वे ही इस पद के लिये प्राप्त होंगे। इन्हें निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
 चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक. २३५६ -५७ /स्था./राज/ 2022

प्रतिलिपि-


 शिवपुरी, दिनांक –
 02/03/2022

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चर्चा करने हेतु।
3. समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा छात्रावास/लाइब्रेरी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
 चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

